न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : — देवीलाल यादव (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या : —15/2024

उनवान

ओमप्रकाश पुत्र बुद्वा जाति रावत निवासी ग्राम कालेडी, नसीराबाद
——— प्रार्थी :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र सांवत सिंह जाति रावत निवासी ग्राम फारकिया, नसीराबाद
2. पप्पू सिंह पुत्र हजारी जाति रावत निवासी ग्राम खेडा, कानाखेडी, नसीराबाद
3. कालू सिंह
4. देवी सिंह पि. लाडू
5. भंवरी देवी पत्नी लाडू
6. महेन्द्र सिंह पुत्र माना
7. रामा पुत्र अमरा समस्त जाति रावत निवासी ग्राम कालेडी, नसीराबाद
8. मैनेजर, बैंक आफॅ बडौदा शाखा, बीर, अजमेर।
9. राजस्थान सरकार तहसीलदार नसीराबाद

——— अप्रार्थीगण :— 3 से 5 अनुपस्थित, 9. जरियें राज0 पैरोकार
1 व 2 जरियें अधिवक्ता श्री मदन गुर्जर,
6 व 7 जरियें अधिवक्ता श्री आशीष अजमेरा

10. आयचुकी पत्नी धर्मा सिंह
11. कूकी पुत्री धर्मा सिंह
12. किशन पुत्र कम्मा
13. गीता पुत्री धर्मा
14. चेकादेवी पत्नी बुद्वा
15. जोधा पुत्र कम्मा
16. नानी पुत्री धर्मा
17. नारायण सिंह पुत्र बुद्वा
18. निखिल सिंह पुत्र बबलू सिंह ना.बा. जरियें संरक्षक माता सुनिता
19. निशा पुत्री धर्मा ना.बा. जरियें संरक्षक माता सुनिता
20. पप्पू पुत्री धर्मा
21. मुकेश पुत्र बुद्वा
22. मतिया पुत्री धर्मा
23. मीरा पुत्री धर्मा
24. लक्ष्मण सिंह पुत्र रामा
25. विमला पुत्री धर्मा
26. सुनीतादेवी पत्नी बबलू
27. सीतादेवी पुत्री बुद्वा
28. सीताराम पुत्र बुद्वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:13:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

29 सोहन पुत्र कम्मा समरत जाति रावत निवासी ग्राम कालेडी, नसीराबाद

--- प्रफोर्मा अप्रार्थीगण --- जरिये अधिवक्ता श्री रणजीत रावत

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-: आदेश :- दिनांक :- 9.1.25

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कालेडी के हाल खसरा नम्बर 510 रकबा 0.16 की आराजी प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की खातेदारी की है। प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 से 7 की खातेदारी खसरा नम्बर 3123/508 रकबा 0.03 में पूर्व से पश्चिम दिशा में आवागमन करते है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता प्रार्थी के पास उपलब्ध नही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण को अपनी उक्त खातेदारी भूमि पर आने-जाने हेतु खसरा नम्बर 3123/508 में से 30 फिट चौडा रास्ता माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किया जावे। उक्त अनुसार आदेश जारी कर तहसीलदार नसीराबाद को राजस्व रेकार्ड व मानचित्र में रास्ता दर्ज करने के भी आदेश पारित करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

अप्रार्थी संख्या 3 से 5 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 3 से 7 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 510 के दो टुकडे हुये है। खसरा नम्बर 3170/510 रकबा 0.08 प्रफोर्मा अप्रार्थी 24 के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 3171/510 रकबा 0.08 अप्रार्थी संख्या 17, 18, 19, 21, 26, 27, 28 के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 508 रकबा 0.01 राजमार्ग के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 509/3060 रकबा 0.03, 504 रकबा 0.13 व 503 रकबा 0.20 की किस्म गै.मु. नाला दर्ज है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 3171/510 पर आवागमन हेतु लघुत्तम मार्ग खसरा नम्बर 3123/508 में से होकर है। खसरा नम्बर 3123/508 राजमार्ग खसरा नम्बर 508 रकबा 0.01 से लगता हुआ है। प्रस्तावित आराजी पर दीर्घतम मार्ग ग्राम कानाखेडी के खसरा नम्बर 504 व ग्राम कालेडी के खसरा नम्बर 509/3060, 509 व 3170/510 में से है। राजस्व अभिलेख में खसरा नम्बर 509/3060 व 504 की किस्म गै.मु. नाला है। अप्रार्थी संख्या 1 से 7 की आराजी में से मार्ग हेतु 90 वर्ग मीटर रास्ता लिया जाना है। बिन्दु संख्या ए व बी के अलावा प्रस्तावित आराजी पर आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता राजस्व रिकार्ड में नही है।

उक्तानुसार स्पष्ट है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु लघुतम मार्ग अप्रार्थी संख्या 1 से 7 की खातेदारी आराजी में से होकर है। उक्त आराजी में से मात्र 90 वर्ग मीटर भूमि की आवश्कता ही है। अप्रार्थी संख्या 1 से 7 का कथन है कि उनकी खातेदारी आराजी का कुल रकबा 0.03 है. ही है। किन्तु अप्रार्थी की आराजी का रकबा कम होने से प्रार्थी को रास्ता नही दिये जाना न्यायोचित नही है। खसरा नम्बर 509, 509/3060, 3170/510 व 504 में से प्रस्तावित अन्य मार्ग के खसरा नम्बर 509 ... 504 की किस्म गै.मु. नाला है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि गै.मु.नाला ... में आता है। उक्त किस्म की भूमि में से रास्ता दिया जाना ... आराजी मुतनाजा पर आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता राजस्व रिकार्ड ... है। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 6 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:13:05 IST
Reason: SelfAttested

--3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

7 के अधिवक्ता ने दौराने बहस मार्ग की भूमि के एवज में डी.एल.सी. दर से राशि के स्थान पर भूमि के बदले भूमि की मांग की है किन्तु प्रार्थी उक्त मार्ग की भूमि के बदले भूमि देने हेतु सहमत नही है। भूमि के बदले भूमि उभयपक्ष की सहमती के आधार पर ही दी जा सकती है। सहमती के अभाव मं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के प्रावधान अनुसार भूमि की डी.एल.सी. दर की दो गुण राशि खातेदार प्रापत कने के अधिकारी है। प्रकण्रण में भूमि की आत्यतिंक आवश्यकता सिद्व होती है। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र के तथ्यों की ताईद होती है। धारा 251 ए की मूल अवधारणा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु रेकार्डेड मार्ग उपलब्ध कराने की है। अतः प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 से 7 की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है। खसरा नम्बर 3123/508 का कुछ हिस्सा बेंक के नाम रहन दर्ज है। किन्तु उक्त आराजी में से 90 वग्र मीटर भूमि ही रास्ते हेतु ली जानी है। अतः बैंक रहन का इन्द्राज प्रकरण पर अप्रभावी है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम कालेडी प.म. कनाखेडी के हाल खसरा नम्बर 3123/508 रकबा 0.03 में से 90 वर्ग मीटर भूमि गै0 मु0 रास्ता (सिवायचक खाते में) दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद खसरा नम्बर 3123/508 में से 10 मीटर लम्बा व 9 मीटर चोडा कुल 90 वर्ग मीटर की आराजी के बदले 46000/ अक्षरे छियालिस हजार रूपये अप्रार्थी संख्या 1 से 7 को भुगतान होने के बाद उक्त आराजी गै0मु0रास्ते के रूप में सिवायचक खाते में दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार शेष खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:13:05 IST
Reason: SelfAttested